

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 33/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

घीसा लाल पुत्र भीमडा कुम्हार निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.
रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाडा
भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15-08-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 46 एफ 876316 राशि 10.00 रु0 के साथ एक आवेदन दिनांक 01.06.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020 दिनांक 10.08.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/326 दिनांक 06.07.2020 से अपीलार्थी को आवेदन पत्र में लिखे निवास के पते पर सूचना प्रेषित की गयी कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना का विवरण अस्पष्ट होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का विवरण अस्पष्ट होने से पत्र से अपीलार्थी को सूचित कर दिए जाने से अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाडा